न्यायालयः द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी, जिला–सीधी (म0प्र0)

{समक्ष–राजेश कुमार श्रीवास्तव}

Registration No.	CRA/36/2023
Filing No.	CRA/616/2023
CNR No.	MP5301-000975-2023
Filing Date-	03-03-2023

संतोष उपाध्याय तनय राधिका प्रसाद उपाध्याय, उम्र–35 वर्ष,
निवासी ग्राम–खुटेली, थाना–बहरी,
जिला–सीधी (म0प्र0)

———**अपीलार्थी / अभियुक्त**

/ / बनाम / /

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा थाना बहरी सीधी,
जिला सीधी (म0प्र0)

————**प्रत्यर्थी / अभियोजन**

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी, जिला–सीधी (म0प्र0) श्री सुभांषु ताम्रकार के न्यायालय के दांडिक प्रकरण (R.C.T. No. 570/2015, Filing No. 159/2015 & Filing Date-25-05-2015) म0प्र0 राज्य विरूद्ध सहाबुद्दीन मुसलमान वगै. (पुलिस थाना बहरी सीधी, जिला–सीधी के अपराध क्र0–37 / 2015 अंतर्गत धारा 294, 323, 34, 506 भाग–2 भा0दं0सं0, 1860) में घोषित निर्णय दिनांक 03.02.2023 से उद्भूत दाण्डिक अपील।

अपीलार्थीगण द्वारा श्री महीप शुक्ला अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी / राज्य द्वारा आदित्य प्रताप सिंह अपर लोक अभियोजक।

:: नि र्ण य ::

(आज दिनांक–**03 / 05 / 2023** को घोषित)

1. अपीलार्थी / अभियुक्त सन्तोष उपाध्याय की ओर से यह अपील धारा–374 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी (श्री सुभांषु ताम्रकार) द्वारा उनके न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण क्र0–1000570 / 2015 में घोषित निर्णय एवं दण्डाज्ञा दिनांक 03.02.2023 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी / अभियुक्त सन्तोष उपाध्याय को भा0दं0सं0 की धारा 323 / 34 (काउण्ट–2) के आरोप में न्यायालय उठने तक

के कारावास एवं प्रत्येक आहत गिरधारी लाल साहू एवं अशोक कुमार द्विवेदी के संबंध में 1000/– रूपये अर्थात कुल 2000/– रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में अपीलार्थी/अभियुक्त को दस दिवस के साधारण अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया है।

2. प्रकरण में सुविधा की दृष्टि से अपीलार्थी सन्तोष उपाध्याय को अभियुक्त एवं प्रत्यर्थी को अभियोजन से संबोधित किया जायेगा।

3. प्रत्यर्थी/अभियोजन का प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह रहा है कि सूचनाकर्ता/फरियादी ताज मोहम्मद द्वारा दिनांक 15.04.2015 को समय 08:00 बजे थाना बहरी में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह तथा गिरधारी साहू अशोक द्विवेदी का खेत अधिया में लिये थे, जिसमे गेहूं तथा अरहर बोये थे। गांव के लोग अपने मवेशियों को छोड़ देते थे, जो उनकी खेती का नुकसान करते थे, जिस कारण दिनांक 14.04.2015 को वह, गिरधारी साहू तथा अशोक द्विवेदी मवेशियों को कांजी हाउस में बन्द कर दिये, इसी बात को लेकर दिनांक 15.04.2015 को जब वह तथा गिरधारी साहू खेत से डांठ ढो रहे थे, तभी गांव के असीम मोहम्मद, यूसुफ मोहम्मद, हकीमुद्दीन, सहाबुद्दीन लाठी लेकर आए और बोले कि मादरचोद हमारे मवेशी कांजी हाउस में क्यों बंद किये हो व उसे लात घूंसों से तथा गिरधारी साहू को लाठी से मारने लगे, तभी संतोष उपाध्याय भी आया और बोला कि मारो मादरचोदो को। हल्ला गोहार की आवाज सुनकर अशोक द्विवेदी आये और बीच बचाव करने लगे, तो उसके साथ भी लाठी से मारपीट करने लगे। मारपीट से उसके पीठ, गाल व कमर में चोट आई एवं गिरधारी साहू के बाएं हाथ की बांह, बांए पखौरा, दाहिने कंधे, दाहिने हाथ की टिहुनी में लाठी की चोट आई। अशोक द्विवेदी के दाहिने हाथ तथा टिहुनी के पास बांए हाथ के अंगूठे में, दाहिने पैर की पिंड़ली में कमर के उपर चोट आई है। फरियादी ताज मोहम्मद की रिपोर्ट पर थाना बहरी द्वारा अपराध क्रमांक 37/2015 अंतर्गत धारा 294, 323, 506 एवं 34 भा.दं.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण अन्वेषण में लिया गया। फरियादी व आहतगण का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका (अपराध विवरण फॉर्म) तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर संपूर्ण अन्वेषण उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 323, 506 एवं 34 भा.दं.सं के दण्डनीय अपराध के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/अभियुक्त सन्तोष उपाध्याय ने आरोप अस्वीकार कर विचारण चाहा। उसकी प्रतिरक्षा थी, कि वह निर्दोष है उसे झूंठा फॅसाया गया है। विचारण उपरांत अपीलार्थी/अभियुक्त सन्तोष उपाध्याय

को धारा–294, 506 भाग–दो भा0दं0सं0 के आरोप में दोषमुक्त किया गया तथा फरियादी ताज मोहम्मद के द्वारा समझौता कर लेने के कारण ताज मोहम्मद के संबंध में अपीलार्थी/अभियुक्त सन्तोष उपाध्याय को धारा 323/34 (काउण्ट–1) के आरोप में दोषमुक्त किया गया एवं अन्य आहतगण गिरधारी लाल साहू व अशोक द्विवेदी के संबंध अपीलार्थी/अभियुक्त सन्तोष उपाध्याय को धारा–323/34 (काउण्ट–3) भा0द0सं0 के आरोप में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं प्रत्येक आहत के संबंध में 1000–1000/– रूपये कुल 2000/– रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में अपीलार्थी/अभियुक्त को 10 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया है।

5. अपीलार्थी/अभियुक्त सन्तोष उपाध्याय द्वारा उपरोक्त दोषसिद्धि एवं दण्डादेश से व्यथित होकर अपील मुख्यतः इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है, कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त सन्तोष उपाध्याय के विरूद्ध पारित दोषसिद्ध निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 03.02.2023 विधि, तथ्य एवं प्रक्रिया के विपरीत होने एवं सहज न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। आधार लिया कि फरियादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में साक्षी अर्जुन साकेत व जमादार केवट को चक्षुदर्शी साक्षी होने का उल्लेख करते हुए उक्त दोनों साक्षियों की साक्ष्य ली गई है, जिसके अनुसार अभियोजन साक्षी जमादार केवट अ.सा.–4 ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान यह व्यक्त किया है कि उसे घटना के सम्बन्ध में कोई जानकारी नही है, पुलिस ने घटना के संबंध में उससे कोई पूछताछ नही की थी और न ही उसका कथन लेख किया था, उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित करने के उपरान्त भी उससे प्रतिपरीक्षण किये जाने के उपरान्त उसने कथित घटना के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नही दिया है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी गुलाब साकेत अ.सा.–5 जो कि घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है, ने भी विचारण न्यायालय में अपने मुख्य परीक्षण में घटना के संबधं में कोई जानकारी न होना व्यक्त किया है। फरियादी ताज मोहम्मद ने स्वतः कथित घटना होने से इंकार किया है तथा उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण से भी कथित घटना प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार तीनों साक्षीगण जिसे अभियोजन ने चक्षुदर्शी साक्षी होने का उल्लेख किया है। उक्त किसी भी साक्षी ने कथित घटना का समर्थन नहीं किया है और ऐसे घटना को चक्षुदर्शी साक्षियों द्वारा प्रमाणित न किये जाने के कासरण कथित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं है।

6. आगे यह भी कि अभियोजन साक्षी क्र.–9 डॉ. सतक्रतु द्विवेदी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–4 में कथन किया है कि यदि आहत के शरीर पर आयी चोटें आपस में लिपटे और जमीन पर गिर जायें तो ऐसी चोटें आ सकती हैं। इसके अतिरिक्त किसी अन्य स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध फरियादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में मारपीट करने

की कोई बात नहीं लिखाई है, बल्कि गाली देने की बात लिखाई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट को किसी भी साक्षी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। इस कारण अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 294, 506 भाग–2 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित न पाये जाने पर विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को भा.दं.सं. की धारा 294, 506 भाग–2 के आरोप में दोषमुक्त किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने निर्णय की कंडिका–27 अनुसार ही अपीलार्थी/अभियुक्त को दोषसिद्ध इस आधार पर किया है कि फरियादी ताज मोहम्मद द्वारा अभियुक्तगण से समझौता किये जाने के आधार पर आदेश पत्रिका दिनांक 11.10.2018 के अनुसार अभियुक्तगण को भा.दं.सं. की धारा 294, 506 भाग–2 के आरोप में दोषमुक्त किया जा चुका है, तब ऐसे अभियुक्तगण के विरूद्ध दोषसिद्ध का आदेश पारित किया जाना उचित नहीं है। घटना के पूर्व अपीलार्थी/अभियुक्त के पिता राधिका प्रसाद उपाध्याय एवं अशोक द्विवेदी के मध्य जमीनी विवाद के कारण पुलिस थाना बहरी जिला–सीधी के द्वारा 107/116 जा.फौ. का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जिसके चलते अशोक द्विवेदी ने अपीलार्थी/अभियुक्त को रंजिशन मुकदमें में फंसाने के लिये उसके विरूद्ध न्यायालय में गवाही दिया जिसकी साक्ष्य पर कतई विश्वास नहीं किया जाना चाहिए था, फिर भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आलोच्य निर्णय व दण्डादेश घोषित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। निवेदन किया कि अपीलार्थी निर्दोष है उसके विरूद्ध अभियोजन द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त अपराध अपीलार्थी के विरूद्ध प्रमाणित नहीं कर पाये हैं। अभियोजन के जिन साक्षियों ने अपराध का समर्थन किया है, उनका अपीलार्थी से पूर्व से रंजिश है फिर भी विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषमुक्त न करने में कानूनी त्रुटि की है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7. प्रत्यर्थी/अभियोजन की ओर से आदित्य प्रताप सिंह अपर लोक अभियोजक द्वारा तर्क किया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन करते हुये निर्णय घोषित किया है। अतः उक्त निर्णय को यथावत रखते हुए उसमें कोई हस्तक्षेप न किये जाने का निवेदन किया गया।

8. अपील के निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष मुख्यतः विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

> क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय व पारित दण्डादेश दिनांक 03.02.2023 तथ्य एवं विधि के अनुरूप न होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है ?

:: सकारण विनिश्चय ::

9. उक्त विचारणीय प्रश्न के निराकरण हेतु अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील मेमो में लिए गये आधार उल्लेखनीय है, जिसमें उनके द्वारा यह आधार लिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि प्रक्रिया एवं सहज न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है एवं निरस्त किया जाये, इसके अतिरिक्त यह भी तर्क लिया गया है कि फरियादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अर्जुन साकेत व जमादार केवट को चक्षुदर्शी साक्षी होने का उल्लेख किया गया है परन्तु अभियोजन की ओर से उक्त दोनों साक्षियों की साक्ष्य कराये जाने पर साक्षी जमादार केवट ने घटना के संबंध में कोई जानकारी न होना व्यक्त किया, साथ ही पुलिस के द्वारा घटना के संबंध में उससे कोई पूछताछ न किया जाना और न ही कथन लिये जाने का अभिकथन किया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने सदृश प्रश्न किये जाने पर भी उक्त चक्षुदर्शी साक्षी के द्वारा कोई कथित घटना के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया है। इसी प्रकार से अभियोजन साक्षी गुलाब साकेत क्रमांक–5 के द्वारा भी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होते हुए भी विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षण के दौरान घटना के संबंध में कोई जानकारी न होने एवं पुलिस वालों के द्वारा घटना के संबंध में पूछताछ न किये जाने का अभिकथन किया है। उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किये जाने के पश्चात् प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने सदृश प्रश्न पूछने पर भी घटना प्रमाणित नहीं हुई है। उक्त तीनों चक्षुदर्शी साक्षीगण द्वारा कथित घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध घटना संदेह से प्रमाणित न होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

10. इसी प्रक्रम पर अपीलार्थी के द्वारा लिया गया अन्य आधार उल्लेखनीय है जिसमें उनके द्वारा यह आधार लिया गया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त के पिता राधिका प्रसाद उपाध्याय का अशोक कुमार द्विवेदी के मध्य जमीनी विवाद के कारण अशोक द्विवेदी द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को रंजिशन झूंठा फसाया गया है, जिससे उसके साक्ष्य पर कतई विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। तत्संबंध में विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि मात्र रंजिश के तथ्य से किसी साक्षी की साक्ष्य की विश्वसनीयता खण्डित नहीं हो जाती है। उक्त के संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि निष्कर्ष निकालने में साक्षी की साक्ष्य का विश्लेषण सूक्ष्मता व सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए। अतः अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं रह जाता है।

11. उक्त आधार एवं तर्क के संबंध में यहां यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्षी गिरधारी लाल साहू अ.सा.–1 ने अपने न्यायालयीन कथन में सहाबुद्दीन मुसलमान, आसिम मोहम्मद, यूसुफ मोहम्मद, संतोष उपाध्याय तथा हकीमुद्दीन एवं फरियादी ताज मोहम्मद को जानने व पहचानने की अभिव्यक्ति करते हुए यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह तथा ताज मोहम्मद दोनों लोग ग्राम कुसेड़ा के अशोक दुबे का खेत अधिया में लेकर बोये थे एवं घटना वर्ष 2015 की चौथे महीने की 14 तारीख की दिन के लगभग 8:00 बजे ग्राम खुटेली हल्का कुसेड़ा की होने का अभिकथन किया है व उक्त साक्षी द्वारा आगे यह भी साक्ष्य दिया गया है कि वह व उसके परिवार के लोग तथा ताज मोहम्मद व उसके परिवार के लोग सभी लोग खेत में फसल की कटाई का काम कर रहे थे। अभियुक्तगण के मवेशी उसके खेत में कई दिनों से लगातार जाते थे जिन्हें वे लोग हांककर बाहर कर देते थे। जब अभियुक्तगण मना करने पर भी नहीं माने और रोज अपने मवेशी अशोक दुबे के खेत में भेज देते थे तब 14 तारीख को अशोक दुबे उनके मवेशियों को नौगई गांव में बेड़ दिये थे। अगले ही दिन 15 तारीख को सभी अभियुक्तगण लाठी लेकर अशोक दुबे के खेत में आये और अभियुक्तगण उन लोगों को मां–बहन की गालियां देने लगे और उसके साथ लाठियों से मारपीट भी की।

12. उक्त साक्षी का यह भी अभिकथन है कि घटना के समय वह खेत में ही था, तभी सभी अभियुक्तगण मिलकर उसके साथ लाठियों से मारपीट कर रहे थे जिससे उसके बायें हाथ की भुजा, दाहिने कंधे, पीठ, जांघ व पैर में तथा पूरे शरीर में चोटें आयीं थी। मारपीट से वह वहीं पर गिर गया था। घटना के समय अशोक दुबे बीच बचाव करने लगे तब अभियुक्तगण ने अशोक दुब के साथ भी लाठियों से मारपीट करने लगे जिससे उन्हें भी काफी चोटें आयी थी। घटना के समय ताज मोहम्मद भी घटना स्थल पर ही था। घटना के बाद उसे, ताज मोहम्मद व अशोक दुबे उठाकर घर ले आये थे। घटना के बाद बहरी थाने में उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। उसकी चोटों का इलाज अस्पताल में हुआ था तथा उसकी हाथ की चोट का एक्सरे भी हुआ था।

13. उक्त साक्षी के कथनों का सारतः समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी अशोक दुबे अ.सा.–2 द्वारा यह कथन किया गया कि वह अभियुक्त सहाबुद्दीन मुसलमान, आसिम मोहम्मद, यूसुफ मोहम्मद, संतोष उपाध्याय तथा हकीमुद्दीन को पहचानता है। वह फरियादी तोज मोहममद को भी पहचानता है। घटना दिनांक 15.04.2015 की सुबह 08:00 बजे ग्राम कुसेड़ा में खोलैहिवा खेत की है। ताज मोहम्मद तथा गिरधारी साहू उसका खेत अधिया में लेकर काम करते थे। दोनों व्यक्ति गेहूं की फसल काटकर ढुलाई का काम कर रहे थे। घटना दिनांक से एक दिन पूर्व अभियुक्तगण उसके गेहूं की कटी हुई फसल में बहुत सारे मवेशियों को

छोड़ दिये थे जिससे मवेशी फसल खा गये थे। उसने अभियुक्तगण को ऐसा करने से मना किया, किन्तु वे नहीं माने तब उसने मवेशियों को कांजी हाउस में बंद करवा दिया। यूसुफ मोहम्मद ने उसे फोन कर कहा कि देखते हैं कि तुम्हारी फसल का कितना नुकसान हुआ है।

14. साक्षी ने आगे यह भी अभिकथन किया है कि जब वह घर से खेत के लिये जा रहा था तभी अभियुक्तगण उसके अधिया मजदूर ताज मोहम्मद व गिरधारी के साथ लाठी से मारपीट शुरू कर दिये। जब वह दौड़कर बीच बचाव करने लगा और मारपीट करने से मना किया तब अभियुक्त यूसुफ मो. पीछे से उसे पकड़ लिया और शेष अभियुक्तगण उसे लाठी से सामने से मारपीट करने लगे। अभियुक्तगण उन लोगों को गाली गलौच भी कर रहे थे। खेत में जाते समय उसके साथ में भी लाठी थी। अभियुक्तगण की मारपीट करने से उसकी लाठी गिर गई थी और वह घटना स्थल से बाहर निकलने का प्रास करने लगा। ज वह घ टना स्थल से बाहर जाने लगा तब अभियुक्त संतोष उपाध्याय सामने से उसे लाठी से फिर से मारा। अभियुक्तगण उसे अश्लील गालियां दे रहे थे तथा उसे मारने की धमकी देते हुये मारपीट कर रहे थे। मारपीट से उसके दाहिने पैर की पिंडली में, बायें हाथ की कलाई में, राहिने हाथ के बाजू में तथा कमर में चोटें आयी थी। उक्त मारपीट से गिरधारी साहू को काफी चोटें आयी थी तथा ताज मोहम्मद को भी चोटें आयी थी। उक्त घटना की थाने में उसके अधिया मजदूर तोज मोहम्मद द्वारा रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी। उनकी चोटों का इलाज अमिलिया अस्पताल में हुआ था। पुलिस वाले घटना के बाद घटना स्थल पर जाकर लिखा पढ़ी कर नक्शा मौका प्र.पी.–1 उसके समक्ष तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

15. यद्यपि अभियोजन साक्षीगण ताज मोहम्मद अ.सा.–3, जमादार केवट अ.सा.–4 एवं गुलाब साकेत अ.सा.–5 द्वारा अभियोजन का किंचित मात्र भी समर्थन नहीं किया है, परन्तु उक्त के संबंध में यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त अभियोजन साक्षीगण के समर्थन न किये जाने मात्र से संपूर्ण अभियोजन मामला दूषित नहीं हो जाता है बल्कि ऐसी स्थिति में आहत के कथनों का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाना चाहिए। परंतु मात्र स्वतंत्र साक्षी के द्वारा अभियोजन का समर्थन न किए जाने से संपूर्ण अभियोजन का मामला दूषित नहीं हो जाता है बल्कि ऐसी स्थिति में स्वयं आहत के कथनों का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाना चाहिए एवं यदि ऐसे एकल साक्षी के साक्ष्य के आधार पर भी ठोस व विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध हो तब ऐसे साक्षी के साक्ष्य के आधार पर भी स्वतंत्र साक्ष्यों के अभाव में दोषसिद्धि की जा सकती है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत Surendra Kumar vs State of Punjab (2020) 2 SCC 563 अवलोकनीय है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आधारित किया है कि मात्र स्वतंत्र

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

साक्षी के द्वारा अभियोजन के मामले को समर्थित न किए जाने से संपूर्ण अभियोजन का मामला दूषित नहीं हो जाता है। अतः माननीय न्यायालय के उक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का उक्त आधार भी स्वीकार योग्य नहीं रह जाता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्षी गिरधारी साहू अ.सा.–1 व अशोक कुमार दुबे अ.सा.–2 को प्रतिपरीक्षण के दौरान घटना दिनांक, समय व स्थान और आहत को आई चोटों के संबंध में कोई चुनौती नहीं दी गई है, जिससे उक्त साक्षीगण की साक्ष्य की विश्वसनीयता अखण्डनीय हो जाती है।

16. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से लिया गया अन्य आधार कि अभियोजन साक्षी डॉ. सतक्रतु द्विवेदी अ.सा.–9 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्रमांक–4 में यह बताया है कि यदि आहत के शरीर में आई चोटें यदि आपस में लिपटे और जमीन पर गिर जाये, तो उक्त चोटें आना संभव है। उक्त साक्षी के अतिरिक्त किसी भी स्वतंत्र साक्षी द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है, उसके उपरान्त भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय घोषित किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त के संबंध यहां यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्षी डॉ. सतक्रतु द्विवेदी अ.सा.–9 का यह अभिसाक्ष्य है कि वह दिनांक 15.04.2015 को सी.एच.सी. सिहावल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को सैनिक क्रमांक–61 दद्दू लाल रावत द्वारा आहत ताज मोहम्मद पिता हनीफ मोहम्मद मुसलमान, उम्र–35 वर्ष, साकिन खुटेही, थाना–बहरी, जिला–सीधी को उसके समक्ष चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाया गया था जिसका उसके द्वारा परीक्षण कर निम्न चोटें पायी थी। आहत ताज मोहम्मद को आई चोट क्र.–1 उसके पीठ में एक खरोंच थी। जिसका आकार 1 गुणे 1 से.मी. की थी। आहत को उक्त चोट सख्त एवं भोथरे हथियार से पहुंचायी गई थी जो साधारण प्रकृति की थी तथा उसके परीक्षण से 12 से 24 घंटे के पूर्व की थी। उसके द्वारा तैयार किया गया चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.–14 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

17. उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि उक्त दिनांक को उसने आहत गिरधारी लाल साहू निवासी खुटेली को उसके समक्ष चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाये जाने पर उसने परीक्षण किया था। आहत के बायें गाल पर तिल था। आहत को बाएं भुजा पर एक नीलस्याह चोट थी जिसका आकार 3 गुणे 1 से.मी. था तथा चोट की प्रकृति जानने के लिये आहत को एक्सरे की सलाह दी गई थी। आहत के बायें कंधे पर एक नील स्याही चोट का निशान था जिसका आकार 1 गुणे 1 से.मी. था। दायें कंधे पर एक नीलस्याह चोट जिसका आकार 2 गुणे 1 से.मी. था। दायें कमर के नीचे वाले भाग पर एक नीलस्याह चोट का निशान था जिसका आकार 3 गुणे 1 से.मी. था। बायें कूल्हे पर एक नीलस्याह चोट जिसका आकार2 गुणे 1 से.मी. था। उक्त साक्षी के अभिमत अनुसार आहत गिरधारी लाल साहू को

आयी चोट क्र.–2 से 5 तक की सभी चोटें सख्त एवं भोथरे हथियार से पहुंचायी गई थी जो साधारण प्रकृति की थी, जो उसके परीक्षण से 12 से 24 घंटे के पूर्व की थी। उसके द्वारा तैयार किया गया चिकित्सीय रिपोर्ट प्र.पी.–15 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

18. उक्त चिकित्सक साक्षी का यह भी कथन है कि उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा अशोक कुमार द्विवेदी निवासी कुसेड़ा थाना बहरी को उसके समक्ष चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाये जाने पर उसने आहत का परीक्षण किया था। परीक्षण में उसने पाया था कि आहत के दाहिने कोहनी के नीचे नीलस्याह लालिमायुक्त चोट का निशान था जिसका आकार 2 गुणे 1 से.मी. था। आहत के बायें अंगूठा में नीलस्याह चोट का निशान था जिसका आकार 1 गुणे 1 से.मी. था। आहत के दायें पैर के एंकल के उपर एक नीलस्याह लालिमायुक्त चोट का निशान था जिसका आकार 1 गुणे 1 से.मी. था। साक्षी के अभिमत अनुसार उक्त चोटें सख्त एवं भोथरे हथियार से पहुंचायी गई थी जो कि साधारण प्रकृति की थी, जो उसके परीक्षण के 12 से 24 घंटे पूर्व की थी। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.–16 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

19. उक्त साक्षी के कथन प्रतिपरीक्षण के दौरान अखण्डनीय रहें है बल्कि अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह सुझाव दिया जाना कि आहत की पहली चोट का रंग लालिमा होता है। उसके बाद 12 से 24 घंटे में नीला रंग होने लगता है। उक्त साक्षी के द्वारा इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि आहत को आई चोटें आपस में लिपटने और जमीन में गिर जाने से भी आ सकती है। उक्त सुझाव दिये जाने से अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार किया है कि आहत को उक्त प्रकृति की चोंटे कारित हुई थी।

20. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से इस तथ्य के संबंध में कोई चुनौती नहीं दी गई है कि अपीलार्थी/अभियुक्त घटना दिनांक व समय पर घटना स्थल पर उपस्थित नहीं है। इसके अतिरिक्त जहां तक अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विधि की प्रक्रिया व सहत न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल निर्णय घोषित एवं दण्डादेश पारित किया गया है। तत्संबंध में अभियोजन साक्षी हरिबक्श सिंह अ.सा.–8 के द्वारा दिनांक 15.04.2015 को थाना बहरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए फरियादी ताज मोहम्मद के थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई, जिसके आधार पर उसके द्वारा अपराध क्रमांक 37/15 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 506 सहपठित धारा 34 भा.द.स. के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की है, जो प्र.पी.–2 है, जिस पर उक्त साक्षी के द्वारा अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित

किया है। अन्य अभियोजन साक्षी राजमणि रजक अ.सा.–5 के द्वारा उक्त साक्षी के समर्थन में कथन किया है। अन्य अभियोजन साक्षी अम्बिका प्रसाद अ.सा.–7 ने भी दिनांक 15.04.2015 को थाना बहरी जिला सीधी में गस्ती प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुए उक्त अपराध क्रमांक की केस डायरी प्राप्त होना एवं विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा प्र.पी.–1 तैयार किया था तथा उक्त दिनांक को ही फरियादी ताज मोहम्मद, आहत गिरधारी सिंह व अशोक कुमार द्विवेदी एवं अन्य साक्षी के कथन लेखबद्ध किये गये। उपरोक्त साक्षीगण को उनके प्रतिपरीक्षण के दौरान कोई सारवान चुनौती नही दी गई एवं उक्त साक्षी का अपीलार्थी/अभियुक्त के साथ कोई रंजिश होना भी अभिलेख पर दर्शित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114 e के आलोक मे साक्षीगण के कथन उनके पदीय कर्तव्य के दौरान किये गये है, जिस पर अविश्वास न किये जाने का कोई आधार अभिलेख पर न होने से उक्त साक्षीगण के कथन अखण्डनीय रहें है।

21. अतः उपरोक्त समस्त विवेचना से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। फलस्वरूप विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा घोषित आलोच्य निर्णय दिनांक 28.04.2017 में अपीलार्थी/ अभियुक्त संतोष मिश्रा उर्फ पप्पू मिश्रा पिता चन्द्रशेखर प्रसाद मिश्रा, उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम–पिपरांव, थाना रामपुरनैकिन, जिला–सीधी म.प्र. की भा.दं.सं. की धारा 323 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के संबंध में दोषसिद्ध किये जाने में विधि एवं तथ्य की कोई भूल कारित किया जाना दर्शित नहीं होता है। परिणामस्वरूप विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त धारा के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के संबंध में अभियुक्त की दोषसिद्धि स्थिर रखी जाती है।

22. अतः उपरोक्त समस्त विवेचना से यह प्रकट होता है कि अभियोजन द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। फलस्वरूप विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा घोषित आलोच्य निर्णय दिनांक 03.02.2023 में अपीलार्थी/अभियुक्त सन्तोष उपाध्याय तनय राधिका प्रसाद उपाध्याय, उम्र–35 वर्ष निवासी ग्राम खुटैली थाना बहरी जिला सीधी म.प्र. की भा.दं.की धारा **323 सहपठित धारा 34 (काउंट 2)** के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के संबंध में दोषसिद्ध किये जाने में विधि एवं तथ्य की कोई भूल कारित नहीं की है।

23. परिणामस्वरूप विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय व दण्डादेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई विधिपूर्ण आधार अभिलेख पर न होने से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय व दण्डादेश स्थिर रखा जाता है एवं

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं दण्डादेश व प्रतिकर के संबंध में पारित आदेश की पुष्टि की जाती है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त सन्तोष उपाध्याय की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 374 दं.प्र.सं. स्वीकार करने हेतु विधिपूर्ण आधार अभिलेख पर नहीं होने से निरस्त की जाती है।

24. अपीलार्थी/अभियुक्त के पूर्व के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

25. प्रकरण में जप्तशुदा कुछ नहीं है।

26. अपीलार्थी/अभियुक्त सन्तोष उपाध्याय का विचारण के दौरान निरोध मे बितायी गयी अवधि के संबंध में अंतर्गत धारा 428 दं0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

27. निर्णय की निःशुल्क प्रति अपीलार्थी/अभियुक्त को प्रदान की जाय।

28. निर्णय की प्रति विचारण न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ वापस प्रेषित की जाये तथा प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेख विहित समय अवधि में अभिलेखागार में जमा किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

सही/—
(राजेश कुमार श्रीवास्तव)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी,
जिला—सीधी म0प्र0

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

सही/—
(राजेश कुमार श्रीवास्तव)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी,
जिला—सीधी म0प्र0